3

डिक्री मुकदमा इब्तदाई फाईनल

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपजिला कलेक्टर वमुकाम टोडाभीम

व इजलास जगदीश आर्य (आर0ए0एस0)

उनवान

मनोहरी पुत्र मीठ्या जाति मीना निवासी अजीजपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली –वादी

विरूद्ध

तहसीलदार तहसील टोडाभीम –प्रतिवादी

दावा बाबत् इन्द्राज दुरस्ती नाम अन्तर्गत धारा 88 राज0टे0एक्ट व अन्तर्गत धारा 136 राज0ले0रे0एक्ट

मुकदमा नं0 दावा – 74/2016

तारीख रजू – 13.07.2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट वादी, तहसीलदार टोडाभीम प्रतिवादी मिनकानिब गुदई रूबरू हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी इन्द्राज दुरस्ती नाम डिक्रि किया जाकर भूमि खाता सं0 115 के भूमि खसरा नं0 37/908 रकवा 0.09 हेक्टयर, 141 रकवा 0.01 हेक्टयर, 142 रकवा 0.75 हेक्टयर, 142/907 रकवा 0.58 हेक्टयर, 142/997 रकवा 0.33 हेक्टयर, 395/909 रकवा 0.09 हेक्टयर कुल किता 06 कुल रकवा 1.85 हेक्टयर स्थित ग्राम अनन्तपुरा तहसील टोडाभीम मे रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज नाम मधोरी पुत्र मीठ्या के स्थान पर सही नाम मनोहरी पुत्र मीठ्या जाति मीना साकिन देह अजीजपुर किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार टोडाभीम को आदेश को रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे पालना हेतु आदेश जारी किया जावें।

उप जिला कलैक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

4

निज .... मुबलिग .... बाबत् ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख अदायगी तक ...... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.02.2017 को जारी की गई।

दस्तखत उप जिला कलेक्टर ....
टोडाभीम (करौली)

मुहर ओहदा ....

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजय सवूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोटः— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकि के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज कराना चाहिए।

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

Scanned by CamScanner

5

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

मुकदमा नं0 दावा – 74/2016

तारीख रजू – 13.07.2016

पीठासीन अधिकारी

जगदीश आर्य

(आर0ए0एस0)

उनवान

मनोहरी पुत्र मीठ्या जाति मीना निवासी अजीजपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली –वादी

विरूद्ध

तहसीलदार तहसील टोडाभीम –प्रतिवादी

दावा बाबत् इन्द्राज दुरस्ती नाम अन्तर्गत धारा 88 राज0टे0एक्ट व अन्तर्गत धारा 136 राज0ले0रे0एक्ट

उपस्थिति–

श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट –पक्ष वादी

तहसीलदार टोडाभीम – प्रतिवादी

उपजिला कलेक्टर (करौली) राज0

निर्णय दिनांक 11.02.2017

संक्षेप्त मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खाता सं0 115 के भूमि खसरा नं0 37/908 रकवा 0.09 हेक्टयर, 141 रकवा 0.01 हेक्टयर, 142 रकवा 0.75 हेक्टयर, 142/907 रकवा 0.58 हेक्टयर, 142/997 रकवा 0.33 हेक्टयर, 395/909 रकवा 0.09 हेक्टयर कुल किता 06 कुल रकवा 1.85 हेक्टयर स्थित ग्राम अनन्तपुरा तहसील टोडाभीम मे स्थित है। हाल रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे मधोरी पुत्र मीठया के नाम दर्ज है जबकि सही नाम मनोहरी पुत्र मीठ्या है। मधोरी पुत्र मीठया अशुद्व नाम है। इस प्रकार यह वादपत्र शुद्व नाम दर्ज करने के संबंध मे है। वादी अशिक्षित काश्तकार आदमी है इस नाम को दुरस्त कराने के संबंध मे दिनांक 04.07.2016 को तहसीलदारजी टोडाभीम से निवेदन किया कि मेरी खातेदारी की

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

6

भूमि मे शुद्ध नाम दर्ज करा दो राजस्व अभियान न्याय आपके द्वारा चल रहे है इस पर तहसीलदारजी ने कहा कि दुरस्ती का दावा पेश करो तभी तुम्हारे नाम नामशुद्वीकरण हो सकता है इसलिये यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है तथा रिलिफ चाही है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी बाबत् इन्द्राज दुरस्ती नाम रिकार्ड जमाबंदी पेश कर निवेदन है कि खाता सं0 115 के भूमि खसरा नं0 37/908 रकवा 0.09 हेक्टयर, 141 रकवा 0.01 हेक्टयर, 142 रकवा 0.75 हेक्टयर, 142/907 रकवा 0.58 हेक्टयर, 142/997 रकवा 0.33 हेक्टयर, 395/909 रकवा 0.09 हेक्टयर कुल किता 06 कुल रकवा 1.85 हेक्टयर स्थित ग्राम अनन्तपुरा तहसील टोडाभीम मे हाल जमाबंदी मे दर्ज नाम मधोरी पुत्र मीठया के स्थान पर सही नाम मनोहरी पुत्र मीठ्या जाति मीना निवासी अजीजपुर दर्ज किया जाये तथा तहसीलदार टोडाभीम को आदेश प्रदान किया जावे कि वे उपरोक्तानुसार रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे अमल करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर सम्मन प्रतिवादी जारी किये गये। प्रतिवादी की तरफ से न्यायालय मे जबाबदावा प्रस्तुत किया तथा जबाबदावा मे लिखा है कि मधोरी पुत्र मीठ्या कौम मीना के नाम दर्ज रिकार्ड है जो सही है तथा एस0बी0बी0जे0 शाखा टोडाभीम से के0सी0सी0 का ऋण लिया है जो चूकता कर दिया है तथा अशुद्वी होना नही पाया गया है दावा खारिज किया जावें।

वकील वादी ने वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 प्रस्तुत की है तथा अपनी बहस में निवेदन किया कि रिकार्ड जमाबंदी मे मधोरी नाम अशुद्व है, सम्मानजनक नाम मनोहरी किया जावे तथा ग्राम अजीजपुर की भूमि मे भी मनोहरी नाम है तथा मेरे परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड मे भी मनोहरी ही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया रिकार्ड जमाबंदी मे मधोरी नाम सम्मान सूचक नही है। दावा नाम दुरस्ती के संबंध मे अन्य भूमि मे भी मनोहरी नाम है इसलिये वादी का दावा बाबत् मधोरी के स्थान पर सही नाम मनोहरी दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा काबिले डिग्रि पाया जाता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी इन्द्राज दुरस्ती नाम डिक्रि किया जाकर भूमि खाता सं0 115 के भूमि खसरा नं0 37/908 रकवा

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

7

0.09 हेक्टयर, 141 रकवा 0.01 हेक्टयर, 142 रकवा 0.75 हेक्टयर, 142/907 रकवा 0.58 हेक्टयर, 142/997 रकवा 0.33 हेक्टयर, 395/909 रकवा 0.09 हेक्टयर कुल किता 06 कुल रकवा 1.85 हेक्टयर स्थित ग्राम अनन्तपुरा तहसील टोडाभीम मे रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज नाम मधोरी पुत्र मीठ्या के स्थान पर सही नाम मनोहरी पुत्र मीठ्या जाति मीना साकिन देह अजीजपुर किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार टोडाभीम को आदेश को रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे पालना हेतु आदेश जारी किया जावें। उपरोक्तानुसार पर्चा डिग्रि फाईनल जारी किया जायें।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलक्टर टोडाभीम

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

Scanned by CamScanner